भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1426

11 फरवरी, 2020 के लिए प्रश्न

राशन कार्डों के लिए मानक प्रारूप

1426. श्री एन. रेड्डप्प:

श्री रघु राम कृष्ण राजू:

श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी:

श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' पहल की दिशा में आगे बढ़ने के लिए राशन कार्ड हेतु एक मानक प्रारूप तैयार किया है और राज्य सरकारों को 1 जून, 2020 से देशभर में नए राशन कार्ड जारी करते समय इस प्रारूप का पालन करने के लिए कहा है;

(ख) इस संबंध में अब तक राज्य-वार कौनसी प्रायोगिक परियोजनाएं आरंभ की गई हैं और इनसे क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं तथा प्रत्येक राज्य द्वारा इसके लिए कितनी धनराशि स्वीकृत और व्यय की गई है;

(ग) क्या यह सच है कि इस पहल के अंतर्गत लाभार्थी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत किसी भी उचित दर दुकान से अपनी राशन सामग्री ले सकते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार के राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी के लक्ष्यानुसार यह आवश्यक है कि विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जारी किए गए राशन कार्ड एक मानक प्रारूप के अनुरूप हों तथा यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसमें कितनी प्रगति हुई है तथा इस संबंध में कितनी धनराशि स्वीकृत/व्यय की गई है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्री दानवे रावसाहेब दादाराव)

(क) से (घ): 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' योजना के क्रियान्वयन के लिए मानक प्रारूप के अनुसार पात्र लाभार्थियों को नए राशन कार्ड जारी करने के लिए राज्यों की सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को कोई निदेश नहीं दिए गए हैं। तथापि, एकरूपता के लिए उन्हें सुझाव दिया गया है कि वे केवल तब मानक प्रारूप अपनाएं जब वे भविष्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में नए राशन कार्ड मुद्रित/जारी करने का निर्णय लें।

.....2/-

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के सहयोग से यह विभाग अप्रैल, 2018 से 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन (आईएम-पीडीएस)' नामक स्कीम क्रियान्वित कर रहा है। इस स्कीम में अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन कवर किए गए राशन कार्ड धारकों की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी का क्रियान्वयन शामिल है ताकि देश में प्रवासी राशन कार्ड धारक/लाभार्थी 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' योजना के जरिए उचित दर दुकानों पर स्थापित इलेक्ट्रॉनिक प्वॉइंट ऑफ सेल उपकरणों पर बायो-मेट्रिक/आधार प्रमाणन करने के बाद अपने मौजूदा/उसी राशन कार्ड का उपयोग करके देश में कहीं भी अपनी पसन्द की किसी भी उचित दर दुकान से अपनी पात्रता के खाद्यान्नों का उठान कर सकें।

फिलहाल, एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना के अधीन राष्ट्रीय/अंतर-राज्य पोर्टेबिलिटी की सुविधा 12 राज्यों नामत: आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा में उपलब्ध है। आरम्भ में, अंतर-राज्य/राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तथा गुजरात और महाराष्ट्र के साथ लगे दो-दो राज्यों के दो क्लस्टरों में अगस्त, 2019 से पायलट तरीके से शुरू की गई थी। इसके अलावा, साथ लगे दो-दो राज्यों के दो और कलस्टरों अर्थात हरियाणा और राजस्थान तथा कर्नाटक और केरल को अक्तूबर, 2019 से इसमें शामिल किया गया था। आईएम-पीडीएस स्कीम के अधीन केंद्रीय सहायता की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार निर्मुक्ति और इसका राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपयोग दर्शाने वाला विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

******

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 11.02.2020 को पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं. 1426 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन संबंधी स्कीम के तहत जारी निधि

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी कुल निधियां	प्राप्त उपयोग प्रमाण पत्र की राशि
1	आंध्र प्रदेश	61,83,780	
2	असम	88,80,000	
3	तेलंगाना	1,85,17,000	1,85,17,000
4	मणिपुर	34,41,240	
5	मिजोरम	25,20,000	
6	नगालैंड	39,89,460	39,89,460
7	सिक्किम	19,57,260	15,60,000
8	त्रिपुरा	52,20,000	25,20,000
9	महाराष्ट्र	1,46,01,780	
10	मेघालय	32,40,000	
11	गुजरात	1,16,87,640	
12	राजस्थान	1,22,02,020	
13	उत्तर प्रदेश	1,80,59,340	
14	हिमाचल प्रदेश	44,70,900	12,55,217
15	अरुणाचल प्रदेश	71,59,860	
16	मध्य प्रदेश	1,71,84,060	
17	छत्तीसगढ़	92,35,200	
18	ओडिशा	1,01,58,360	
19	केरल	56,12,100	
20	गोवा	9,92,070	
21	दमन और दीव	9,72,000	9,72,000
22	झारखंड	90,33,360	
23	कर्नाटक	1,05,87,300	
24	उत्तराखंड	39,00,620	
25	हरियाणा	76,30,500	
26	दादर और नगर हवेली	10,11,720	
27	पंजाब	80,55,420	
28	बिहार	1,46,23,020	
29	तमिलनाडु	1,24,54,380	
कुल		**23,35,80,390**	**2,88,13,677**

****